

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010

(आवश्यक सूचना)

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा- 2016

(विज्ञापन संख्या- 21/2016)

दिनांक-06.09.2023

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या - 4038/2022 एवं सिविल अपील संख्या-4044/2022 से सम्बद्ध अवमानना वाद संख्या 612/2022 में दिनांक-15.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा- 2016 (मुख्य) अन्तर्गत राज्यस्तर मेधासूची के आधार पर उर्दू विषय (मूल याचिकाकर्ता सहित) के लंबित रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने निमित्त अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची रोल नम्बर के क्रम में निम्नवत् है :-

उर्दू (मूल याचिकाकर्ता)

अनुक्रमांक- 19117187519, 27114230369, 28115234665, 28160258319. (Total-04)

उर्दू

अनुक्रमांक- 11115114204, 11130123855, 14150153590, 16120167053, 16134173207, 26118225241. (Total-06)

नोट:-

- (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिलों का विकल्प प्राप्त करने हेतु आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर दिनांक-07.09.2023 से दिनांक-09.09.2023 तक लिंक उपलब्ध रहेगा।
- (ख) संदर्भित विषय में जिन जिलों में रिक्ति उपलब्ध है उन्हीं जिलों में से जिलों की प्राथमिकता का विकल्प स्वीकार किया जायेगा।
- (ग) रिक्ति से संबंधित किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि जिले की प्राथमिकता का चयन विहित अवधि में नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि आयोग द्वारा उन्हें कोई भी जिला का आवंटन करने में आपत्ति नहीं है।
- (घ) अभ्यर्थियों से जिला का विकल्प प्राप्त करना परीक्षाफल गठन अन्तर्गत अभिन्न कार्रवाई है, एवं नियुक्ति हेतु अनुशंसा का द्योतक नहीं है।

ह०/-

परीक्षा नियंत्रक।